

दि. 24 मार्च 2015 को
सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल – 576 104
में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक
की सूचना

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE BANK SCHEDULED
TO BE HELD ON 24TH MARCH 2015,
AT SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM
MANIPAL – 576 104



प्रधान कार्यालय: मणिपाल – 576 104
Head Office : Manipal – 576 104

विषय सूची / Contents

सूचना	3
Notice	4
नोट	5
Notes	5
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	11
Attendance Slip / Entry Pass	12
प्रॉक्सी फार्म	13
Proxy Form	14



सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक, मंगलवार, दि. 24 मार्च, 2015 को प्रातः 10.30 बजे सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल – 576 104 में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प(पों) को विशेष संकल्प(पों) के तौर पर पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अनुसार और ऐसे अनुमोदनों को देने में उनके द्वारा निर्धारित शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकना और सेबी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2009 (सेबीआईसीडीआर विनियम) और समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार तथा उन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन करार, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात 'बोर्ड' से तात्पर्य ऐसी समिति से होगा जिसका गठन बोर्ड करता है, जिसमें बोर्ड द्वारा गठित किया गया पूंजी निर्गम समिति या बाद में गठित किया जाने वाला हो, संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करेगा) को दी गयी है ताकि पूंजी जुटाने के लिए सेबी आई सी डी आर की विनियमावली का नियम 76(1) के अनुसार ₹122.75 (रुपये एक सौ बाईस और पैसे पचहत्तर मात्र) नकद के लिए ₹10/- प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 3,74,74,541 (तीन करोड़ चौहत्तर लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ इकतालीस मात्र) तक के ईक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन द्वारा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹460.00 करोड़ राशि (रुपये चार सौ साठ करोड़ मात्र) देने हेतु बोर्ड ने निर्णय लिया है।

“आगे संकल्प किया जाता है कि, निर्गम के मूल्य की निर्धारण की संबंधित तिथि 20 फरवरी, 2015 होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, मंडल या मंडल की समिति को यह प्राधिकार एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस प्रस्ताव में किए गए संशोधनों को या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य ऐसा कोई उचित प्राधिकारी को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करने/देने और निर्गम की मंजूरी, आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में बोर्ड की सहमति से उन्हें स्वीकार करने का अधिकार होगा।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, उक्तजारी किए जाने वाले शेयर बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे और वे घोषित किए जाने वाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे, जो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से मंडल या मंडल की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं, जो अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और उक्त ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी भी आपत्ति, कठिनाई या संदेह का समाधान कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य कर सकते हैं जो सभी प्रलेखों और लेखनों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या उचित हों, जो आगे, शेयरधारकों की अनुमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से करना उचित या वांछनीय समझते हों या इस प्रयोजन और उद्देश्य से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारक इस पर अपना अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा दिया गया समझेंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड या निदेशक मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों या बैंक के अन्य ऐसे कोई अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(टी के श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 23.02.2015



NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank will be held on Tuesday, 24th March, 2015 at 10.30 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution(s):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting upto 3,74,74,541 (Three crore seventy four lakh seventy four thousand five hundred forty one only) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at ₹122.75 (Rupees One hundred and twenty two and paise seventy five only) determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹460.00 Crore (Rupees Four hundred and sixty Crore only) on preferential basis to Government of India.

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 20th February, 2015.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board or Committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director or Executive Director/s or such other Officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By order of the Board of Directors

(T K Srivastava)

Executive Director

Place : Manipal
Date : 23.02.2015

नोट :

1. बैठक के संव्यवहार के बारे में उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्यात्मक जानकारी इसके साथ संलग्न की गई है।
2. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 19 मार्च, 2015, गुरुवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा किसी कॉरपोरेट निकाय, जो कि शेयरधारक है, को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक की वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में असाधारण आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् दि. 19 मार्च 2015, गुरुवार को कार्य समय समाप्त होने के पहले प्रॉक्सी फार्म बैंक के प्र.का. मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
4. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र :**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान

कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 के साथ पढ़े गए सूचीकरण करार के खंड 35 बी के अनुसार बैंक के सदस्यों को आम बैठक (जी एम) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है ।

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Thursday, the 19th March, 2015.
3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Thursday, the 19th March, 2015.
4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Clause 35-B of the Listing Agreement read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the Members of the Bank, the facility to vote at the General Meeting by electronic means.

बैंक के सदस्य, बैठक की सूचना में निहित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के सभी मदों का कारबार कर सकते हैं।

कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी को बैंक द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न करेंगे। संवीक्षक ई-मतदान अवधि की समाप्ति की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर मतदान की रिपोर्ट बैंक के कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेंगे कि मतदान समर्थन में हुआ या विरोध में। इसका परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को जाहिर किया जाएगा और बैंक के वेबसाइट में दर्शाया जाएगा।

निर्दिष्ट दिनांक

बैंक ने ई-मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के मतदान के हक को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, दि. 13 फरवरी 2015 को निर्दिष्ट दिनांक के रूप में निश्चित किया है।

ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यू आर एल का प्रयोग करें:
कार्वी वेबसाइट से: <http://evoting.karvy.com>
2. निर्दिष्ट दिनांक पर भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें [अर्थात् असाधारण आम बैठक की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड]। आपकी फोलियो सं/डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।
4. ब्यौरों को समुचित रूप से प्रविष्टि करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
5. आप पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (A-Z), एक लोअर केस (e-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें।
6. आपको नए क्रेडेन्शियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।

Members of the Bank can transact all the items of the business through electronic voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHA SUBRAMANIAN and Co. Practicing Company Secretaries, as a Scrutinizer who will conduct the electronic voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall within a period of three working days from the date of conclusion of e-voting period, submit his report of the votes cast in favour or against, if any, to the Executive Director/ Managing Director of the Bank. The result of the same will be disclosed to the Stock Exchanges and hosted on the website of the Bank.

CUT-OFF DATE

The Bank has fixed Friday, the 13th February, 2015 as the Cut-off date for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process.

INSTRUCTION FOR E-VOTING

1. To use the following URL for e-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM]. Your Folio No. DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.

7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात् सिंडिकेटबैंक का चयन करने का सुझाव देगा ।
8. मतदान के पृष्ठ पर पक्ष/विरुद्ध के अंतर्गत निर्दिष्ट दिनांक पर शेयरों की संख्या को प्रविष्टि करें या वैकल्पिक रूप से किसी भी संख्या को अंशतः के पक्ष में और अंशतः के विरोध में प्रविष्टि कर सकते हैं। परंतु पक्ष/विरुद्ध की कुल संख्या का योग, कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होना चाहिए। आप 'अलग रहना' (अबस्टैन) विकल्प का चयन भी कर सकते हैं ।
9. अनेक फोलियो/डीमेट खाते को रखनेवाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते के लिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें ।
10. एक समुचित विकल्प का चयन करने के द्वारा अपना मतदान करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। इसकी पुष्टि करनेवाला 'बॉक्स' दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'ओ के' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान संकल्प पर उनके मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं ।
11. शेयरधारक द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान किए जाने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
12. मतदान के लिए दि. 18.03.2015 के प्रातः 9 बजे से दि. 20.03.2015 के अपराह्न 6 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा ।
13. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <http://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं. 1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank.
8. On the voting page, enter the number of shares as on the cut off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
9. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
10. Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from : 9 a.m. on 18.03.2015 to 6 p.m. on 20.03.2015.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग / पोलिंग

ई-मतदान के अलावा, वे व्यक्ति, जिन्होंने ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, पोल के माध्यम से भी वोटिंग कर सकते हैं। मतदान पर्ची/पर्चियों को इस संबंध में घोषणा करने के पश्चात जारी किया जाएगा और वोट की संख्या, उनके द्वारा कट ऑफ तारीख यानि शुक्रवार, दि. 13 फरवरी, 2015 तक धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी ।

शेयरधारक मतदान पर्ची में, नोटिस की कार्यसूची मद सं. 1 से संबंधित कॉलम में टिक लगाते हुए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान पर्ची/पर्चियों को मत पेटिका/मत पेटिकाओं में डाल दिया जाए ।

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from e-voting, the voting shall also be done by Poll for those who have not exercised their option of e-voting. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. Friday, the 13th February, 2015.

The Shareholders may exercise their right by affixing a ticking in the relevant columns in the Ballot Paper with respect to Agenda item Nos. 1 of the Notice. Ballot Paper/s may be dropped in the Ballot Box(es) kept for the purpose.

इसके बाद वोट का काउंटिंग किया जाएगा और बैठक के अध्यक्ष द्वारा ई-मतदान और बैठक के दौरान आयोजित पोलिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोट के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा ।

ई-मतदान के परिणामों के साथ पोलिंग का कुल परिणाम बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानि एनएसई एवं बीएसई को भी इसे सूचित किया जाएगा ।

सेबी आई सी डी आर नियमावली के अध्याय VII के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण

ए) अधिमान निर्गम के उद्देश्य

पूँजी पर्याप्तता हेतु बासेल III की अपेक्षाओं के अनुपालन में हमेशा पूँजी वृद्धि की अत्यंत आवश्यकता रहती है । भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2015 के अपने पत्र एफ संख्या 7/38/2014-बी ओ ए के द्वारा सूचित किया है कि ₹460 करोड़ (रुपये चार सौ साठ करोड़ मात्र) की पूँजी निधि को ईक्विटी के अधिमान आबंटन के आधार पर अपने पक्ष में प्रदान करने का निर्णय लिया है । बैंक को सलाह दी गई है कि इस संबंध में बैंक के बोर्ड और विभिन्न निकायों जैसे सेबी, भा.रि.बैं. आदि से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने सहित सभी प्रकार की तैयारी हेतु कदम उठाएं । इस तरह प्राप्त पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने तथा बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकता हेतु निधि उपलब्ध कराने के लिए किया जाए ।

बी) भारत सरकार – बैंक के प्रवर्तक द्वारा पूरे निर्गम के लिए अभिदान दिया जाएगा ।

सी) निर्गम से पहले और बाद में संभवतः शेयरधारण ढाँचा :

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पहले (13.02.2015 को)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारण का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक धारण (भारत सरकार)	42,09,20,347	67.39	45,83,94,888	69.24
बी.	गैर-प्रवर्तक धारण	20,36,64,284	32.61	20,36,64,284	30.76
	कुल	62,45,84,631	100.00	66,20,59,172	100.00

डी) बैंक यह निर्गम प्रक्रिया सेबी आई सी डी आर नियमावली में बताए गए समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है ।

ई) प्रमुख शेयरधारक और बैंक प्रवर्तक होने के कारण यह निर्गम भारत सरकार को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, अतः इसके नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final results based on the aggregate of votes secured through e-voting and poll conducted at the meeting.

The Results of the poll aggregated with the results of e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e. NSE & BSE.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations

a) **Objects of the Preferential Issue**

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever-increasing need to raise capital. Government of India, vide their letter F.No.7/38/2014-BOA dated 9th February, 2015 has decided to infuse capital funds to the tune of ₹ 460.00 Crore (Rupees Four hundred sixty crore only) by way of preferential allotment of equity in its favour. The Bank has been advised to take all preparatory steps in this regard including necessary approvals from the Board of the Bank and various bodies such as SEBI, RBI, etc. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

b) The entire issue will be subscribed by Government of India – Promoter of the Bank.

c) Shareholding Pattern before the issue and likely shareholding pattern after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 13.02.2015)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Government of India)	42,09,20,347	67.39	45,83,94,888	69.24
B	Non-Promoter Holding	20,36,64,284	32.61	20,36,64,284	30.76
	Total	62,45,84,631	100.00	66,20,59,172	100.00

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the issue is to be made to the Government of India, the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

एफ) निर्गम जारी होने से पहले और बाद (संभवतः) में भारत सरकार की शेयर धारिता इस प्रकार होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी में प्रतिशत (%)
निर्गम से पहले	42,09,20,347	67.39
निर्गम के बाद	45,83,94,888	69.24

- जी) बैंक के ईक्विटी शेयर छः महीने से ज्यादा समय से सूचीबद्ध है, अतः इन पर तदनुसार सेबी आई सी डी आर नियमावली के प्रावधान 76(3) और 78(5) लागू नहीं होंगे।
- एच) निर्गम मूल्य को अब तक यथा आशोधित सेबी (आईसीडीआर) के अध्याय VII में दिए गए अधिमानी निर्गम के लिए यथा लागू विनियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- आई) भारत सरकार को जारी किए गए और आर्बिट्रि शेयर व्यापारिक (ट्रेडिंग) अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष तक लॉक इन में रहेंगे।
- जे) सनदी लेखाकारों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि इस नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार बनाए जा रहे निर्गम को असाधारण आम बैठक में रखा जाएगा।
- के) केंद्र सरकार का पूरा पूर्व-अधिमान अभिधारण, विशेष संकल्प के अनुसार जारी किए जानेवाले शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए व्यापारिक अनुमोदन की तारीख से छः महीनों के लिए संबंधित तिथि से शुरू होकर छः महीनों की अवधि के लिए लॉक हो जाएगा।
- एल) भारत सरकार के पास रखे गए सभी शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा सूचीबद्ध करार में बताए गए अनुरूप बैंक ईक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्तों का अनुपालन उस शेयर बाज़ार के नियमों के अनुसार करता रहेगा, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।
- एम) संबंधित तिथि से पिछले छः महीनों के दौरान भारत सरकार ने बैंक के किसी शेयर का विक्रय नहीं किया है।
- एन) स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार के खंड 23 एवं सेबी आई सी डी आर विनियमन 2009 के विनियम 72 के शर्तों के अनुसार, बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर ऑफर करने एवं अधिमान्यता के आधार पर शेयर आबंटन करने हेतु विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
- ओ) जहाँ अपेक्षित है, सेबी आई सी डी आर विनियमन के प्रावधानों के अनुसार बैंक, ईक्विटी शेयर का मूल्य पुनः परिकलित करेगा।
- पी) बैंक यह घोषणा करता है कि यदि पुनः परिकलित मूल्य का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर अदा नहीं किया जाता है

f) The Pre and Post issue (likely) shareholding of Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital (%)
Pre-issue	42,09,20,347	67.39
Post-issue	45,83,94,888	69.24


- g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.
- h) The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations as amended till date.
- i) The shares issued and allotted to Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k) The entire pre-preferential holding of Central Government will be locked for a period of six months commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by Stock Exchanges to the shares issued pursuant to the Special Resolution.
- l) All the shares held by Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- m) Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- n) In terms of Clause 23 of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-à-vis offering shares to all the shareholders of the Bank.
- o) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- p) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time

तो, निर्धारित प्रतिभूति तब तक लॉक-इन रहेगी जब तक आबंटिती द्वारा उस रकम की अदायगी नहीं की जाती ।

क्यू) आपके निदेशक विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक का इस संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही इस संकल्प में उनका कोई हित है ।

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 23.02.2015



(टी के श्रीवास्तव)
कार्यपालक निदेशक

stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

q) Your Directors recommend passing of the Special Resolution.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

Place : Manipal
Date : 23.02.2015


(T K Srivastava)
Executive Director



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 24 मार्च, 2015

समय : प्रातः 10.30 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र वाले हिस्से को शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना है।



Head Office : Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 24th March, 2015

Time : 10.30 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office : Manipal

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders/proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/ Representative, who, should retain till the conclusion of the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी पी आई डी व ग्राहक आई डी
(यदि बेकागजीकृत है)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को
सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की _____ को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 24-03-2015
प्रातः 10.30 बजे होनेवाली असाधारण आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से
वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2015 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
बी) संयुक्तधारकों के मामले में, रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में, वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. प्रॉक्सी के साथ
ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 19 मार्च 2015, गुरुवार को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेटबैंक नैगम सूचना केंद्र, सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत राजस्व टिकट लगा न हो।
ए) बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
बी) यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए।
सी) जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
डी) सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



Head Office : Manipal

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

<i>Regd. Folio</i>
<i>(If not dematerialised)</i>
<i>DP ID & Client ID</i>
<i>(If dematerialised)</i>

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 24th March, 2015 at 10.30 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015.

Please Affix ₹ 1/- Revenue Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address:

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of Thursday, the 19th March, 2015.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

